न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019(पत्थर गड्डी)

महेश कुमार पुत्र श्री भोलाराम जाति जाट निवासी टोंक ढाका की ढाणी तन टोंक छिलरी तहसील नवलगढ

—प्रार्थी /आवेदक

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं(राज.)

—अप्रार्थी/अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र : अं.धारा 111, 128 रा0 भू0 रा0 अधि0 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.06.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंक छिलरी की सरहद में नई खाता संख्या 40 की भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 1.25हैक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.05है0, खसरा नम्बर 161 रकबा 1.31है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.61है0 स्थित है। भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 1.31है0 प्रार्थी की स्वतंत्र खातेदारी काश्तकारी की भूमि है अर्थात प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर की भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 161 की भूमि का विधि अनुसार सीमाज्ञान तहसीलदार नवलगढ के आदेशानुसार पटवार हल्का टोंक छिलरी द्वारा उपस्थित मौतबिरान के समक्ष प्रार्थी की भूमि का विधिवत सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगड्डी करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अनावेदक की गई। अतः बहस पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंक छिलरी की जमाबंदी सम्वत 2067—2070 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 61/1.25है0,75/0.05है0,161/1.31 किता 3 कुल रकबा 2.61है0 की खातेदारी महेश कुमार पु. भोलाराम कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन आ. जी.बी.शाखा परसरामपुरा मूर्तहिन दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार नवगलढ की ओर नायब तहसीलदार नवलगढ ने उपस्थित होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी की भूमि की पत्थरगड्डी करने पर कोई आपती नही है।

इस संबंध में प्रस्तुत फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार पटवारी हल्का द्वारा ग्राम टोंक ढाका की ढाणी के खसरा नम्बर 161 रकबा 1.31है0 का सीमाज्ञान प्रार्थी व ग्राम मोतबिरान की उपस्थिति में प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई नकल शीट के आधार पर मौके का सीमा ज्ञान खसरा नम्बर 156 जो मौके पर पक्का कुआ है को बिन्दु मानकार सीमाज्ञान कर निशानात् बयाते गये। चूंकि पूर्व में आवेदक की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान राजस्व कर्मियों द्वारा करवाया जा चुका है आवेदक सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगड्डी कराना चाहता है। अतः आवेदक का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकर किया जाता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र पत्थर गडी स्वीकार किया जाता है। ग्राम टोक ढाका की ढाणी की भूमिख.न. 161 रकबा 1.31है0 का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये

Scanned by CamScanner

जाते हैं। आवागमन का प्रचलित रास्ता/सडक इस आदेश से बाधित नही होगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश आवेदक से नियमानुसार शुल्क जमा राज लिया जाकर उक्त भूमि की पत्थरगडी करवाई जावे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner